न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 367 / 2019

1. बंशीधर पुत्र हरसहाय
2. हरदेव पुत्र हरसहाय
3. हेमाराम पुत्र हरसहाय
4. दूलाराम पुत्र हरसहाय
5. भगवान सहाय पुत्र हरसहाय
6. मन्नाराम पुत्र हरसहाय
7. दाखली देवी पत्नि हरसहाय

समस्त जाति जाट, निवासीः कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. घीसी देवी पत्नि भैरू
2. रूडमल पुत्र भैरू
3. चम्पा देवी पत्नि बाबूलाल
4. पवन पुत्र बाबूलाल नाबालिग संरक्षिका माता चम्पा देवी
5. सीता पुत्री बाबूलाल नाबालिग संरक्षिका माता चम्पा देवी
6. मुकेश पुत्र भैरू
7. भगोती पुत्री भैरू
8. रामेश्वरी पुत्री भैरू
9. हन्सा पुत्री भैरू नाबालिग संरक्षिका माता घीसी देवी

   समस्त जाति जाट निवासीः ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. मालीराम पुत्र हनुमान
11. मदन पुत्र हनुमान
12. सीताराम पुत्र हनुमान
13. झूंथी देवी पत्नि हनुमान
14. विमला पुत्री हनुमान

    समस्त जाति जाट निवासीः कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
16. उप पंजीयक शाहपुरा, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

<u>अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 24.07.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा,जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 100 / 2016 उनवान भैरू बनाम बंशीधरअंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः

बंशीधर जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 9

निर्णय दिनांकः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा, जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 24.07.2019 वाद पत्र संख्या 100/2016 बउनवानी भैरू बनाम बंशीधर के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया किसाबिक आराजी खसरा नंबर 25, 27, 32 एवं 35 कुल किता 4 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम हनुतिया, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में स्थित रही है। हाल आराजी खसरा नंबर 16, 19, 20, 33 एवं 36 कुल किता 5 कुल रकबा 3.99 हैक्टेयर ग्राम तेजपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम 1/2 भाग शेष आराजी अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी के सह खातेदारान के विरूद्व वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। साबिक आराजी खसरा नंबर 60, 65, 75, 77 एवं 79 कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मारखी तहसील बैराठ, जिला जयपुर में स्थित है। हाल आराजी खसरा नंबर 17, 18, 183, 185, 186, 188 कुल किता 5 रकबा 2.81 हैक्टेयर ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम 1/3 हिस्सा व शेष आराजी अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक आराजी खसरा नंबर 119, 125, 128, 129 एवं 146 कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा ग्राम मारखी तहसील बैराठ, जिला जयपुर में स्थित है जिसके साबिक रिकॉर्ड अनुसार आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता/पति हरसहाय के नाम 1/2 हिस्सा व शेष आराजी अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। हाल आराजी खसरा नंबर 247, 248, 258, 259, 272, 288, 289, 324, 325 व हाल आराजी खसरा नंबर 244 साबिक खसरा नंबर 146 मीन के स्थान पर 246 मीन लिखा गया है वह काबिले दुरूस्ती है। इस प्रकार हाल आराजी कुल किता 10 रकबा 3.49 हैक्टेयर ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम 1/2 व शेष आराजी अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 11 बिस्वा ग्राम मारखी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में स्थित रही है जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व पति के नाम 1/2 हिस्सा व शेष आराजी अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। हाल आराजी खसरा नंबर 189 ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम हिस्सा 1/6 भाग व शेष आराजी अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी साबिक सेटलमेन्ट से पूर्व वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 के बुजुर्ग रामबक्स की रही है। रामबक्स की मृत्यु साबिक सेटलमेन्ट से पूर्व हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता एवं पति हरसहाय जो अपने परिवार में सबसे बडा था तथा समझदार व कर्ता खानदान होने के कारण व वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 का पिता व पति नाबालिग होने के कारण हरसहाय ने साबिक सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलीभगत कर संपूर्ण आराजी को अपने नाम करा ली जबकि आराजी पर

राजस्व अपील प्राधिकारी

वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 अपने अपने हिस्से 1/3 की आराजी पर काबिज रहे है तथा वर्तमान में भी बिना किसी बाधा के काबिज काश्त है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 ने हरसहाय के जीवनकाल में ही हरसहाय को आराजी बाजौत व अपने हिस्से 1/3 के अनुसार नाम करवाने को कहा तो हरसहाय ने यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारी 1/3 हिस्से अनुसार तुम्हारे नाम करवा दूंगा लेकिन हरसहाय के फौत हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 जो कि हरसहाय के पुत्र एवं पत्नि है, के मन में अब आराजी की बढी हुई कीमतों को देखकर अपने पिता व पति के नाम आराजी होने के कारण बदनियति आ गयी है एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 से कई मर्तबा आराजी को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार नाम करवाने का अनुरोध किया तो ये लोग हमेशा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 15 को आराजी उनके नाम करवाने का आश्वासन देते रहे लेकिन उन्होने आराजी को वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 के नाम नहीं करवाई है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के मन में अब बदनियति आ गई है एवं वह आराजी को खुर्द बुर्द विक्रय, हस्तान्तरित करने पर आमादा है इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद में वर्णितानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की आराजी में वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे तथा किसी प्रकार की कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न न करे। जिस परअधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 24.07.2019के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर वादी को आराजीयात में खातेदार घोषित किया।अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया किअधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत तलबी हेतु नोटिस जारी नहीं किये गये है एवं विधिवत तामील प्रक्रिया पूर्ण हुये बिना ही अपीलान्ट की तामील मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को ना तो जवाब प्रस्तुत करने एवं ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय लोक अदालत में किया गया है एवं आदेशिकाओ में स्पष्ट अंकित किया गया है कि पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प हनुतिया में पेश हुई, पक्षकारान में आपसी समझौता नही होने के कारण कार्यवाही नही हो सकी।" अन्य आदेशिका में अंकित किया है " पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प हनुतिया में पेश हुई, पक्षकारान में राजीनामा नही होने से आगामी तारीख पेशी दी गयी एवं दिनांक 24/07/2019 की आदेशिका में वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 स्वीकार करते हुये वाद में संशोधन की अनुमति दी गयी एवं उसी दिनांक को वाद में बहस होना अंकित करते हुये वाद का उसी दिनांक को निस्तारण करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान लोक अदालत की प्रक्रिया की मूल भावना की और आकर्षित कराते हुये बहस में निवेदन किया कि लोक अदालत में मात्र वही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रकरण निस्तारित किये जा सकते है जिनमे पक्षकारान के मध्य सहमति हो या राजीनामा हो गया हो किन्तु जहाँ पक्षकारान के मध्य कोई सहमति नही बनी हो या राजीनामा नही हुआ हो तो ऐसे प्रकरण लोक अदालत द्वारा निस्तारित नही किये जाकर नियमित अदालत द्वारा साक्ष्य सबूत प्राप्त कर नियमित वाद की प्रक्रिया अपनाते हुये वाद का निस्तारण किया जाना चाहिये था जब न्यायालय द्वारा स्वयं अपनी आदेशिकाओ में पक्षकारान के मध्य सहमति या राजीनामा नही होना दर्ज किया गया तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के किसी पक्ष पर विचार किये बगैर वादी का वाद डिक्री किये जाने में क़ानूनी भूल की है, अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर वाद के पुन: निस्तारण हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे | अपनी बहस के समर्थन में अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2020(1) पेज 372 उद्दरित की | वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट के मकानात बने हुये है एवं विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व रिकॉर्ड अनुसार भी रेस्पोडेन्ट आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय सही पारित किया है।

4 अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत RRD 1990 पृष्ठ संख्या 20, RRD 1992 पेज संख्या 427, आर.आर.टी. 2016(1) पेज संख्या 216, उद्दरित करते हुये जवाब बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्द दिनांक 16/02/2015 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तत्तपश्चात प्रतिवादी/अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12/06/2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 मय दफा-5 के प्रार्थना पत्र पेश किये गये, जिन पर पक्षकारान की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11/07/2019 को प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 ख़ारिज कर दिया गया | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने उनके द्वारा उद्दरित नजीरो की और हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुये बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 24/07/2019 के विरुद्द प्रस्तुत की है, दिनांक 11/07/2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 को ख़ारिज किये जाने के विरुद्द कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है, जिससे आज इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा जो तामिल के सन्दर्भ में बहस की गयी है वह आपत्ति निराधार है | इसके सम्बन्ध में न्यायालय न तो अपीलार्थी को सुन सकता है एवं ना ही तामिल के सन्दर्भ में कोई आदेश पारित कर सकता है | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में आगे निवेदन किया कि लोक अदालते प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु कायम की गई है एवं लोक अदालतों द्वारा पारित निर्णयों की कोई अपील का प्रावधान नही है | अत: अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से ख़ारिज फरमाई जावे |

5 हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्द की गई एकपक्षीय कार्यवाही के सन्दर्भ में जो बहस की गई है एवं उसका जवाब जो अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय न्यायालयों की नजीरो के साथ दिया गया है, से स्पष्ट है कि चूँकी अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 को ख़ारिज किये जाने के विरुद्द इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है, अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण स्वरूप पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24/07/2019 के विरुद्द प्रस्तुत इस अपील में तामिल के बिन्दु पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित नही समझा जाता है | यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद लोक अदालत में विचाराधीन था एवं यह भी तथ्य स्पष्ट है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है जबकी विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विचाराधीन रहे वाद में पक्षकारान के मध्य कोई आपसी सहमति या समझौता नही हुआ बल्कि दिनांक 24/07/2019 को वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 के माध्यम से वाद में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के आदेश के साथ ही उसी दिनांक को वाद वादी डिक्री कर दिया गया | जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का निर्वहन नही कर वाद का निस्तारण करने में क़ानूनी त्रुटी की है, जिससे यह न्यायालय सहमत नही होते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24/07/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण पुन: अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण कर वाद का पुन: गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे |

6 पत्रवाली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

7 आज दिनांक 01/4/21 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर